प्रेषक,

राजमणि पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त, 2017

विषय- उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के अधिष्ठान एवं अन्य व्ययों हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-4/2017/366/49-01-2017-8(05)/2016, दिनांक 25-04-2017 के क्रम में अपने कार्यालय पत्रांक-527/रा0स0स0 नि0आ0(बजट)/2017-18 दिनांक 01 अगस्त, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निर्वाचन आयोग में अधिष्ठान तथा अन्य व्ययों को वहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 693.88 लाख के सापेक्ष संलग्नक-1 में उल्लिखित मदवार धनराशि रू0 4,20,95,000.00(रू0 चार करोड़ बीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिस मानक मद/प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी तथा मितव्ययिता की मदों मे न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर ही व्यय किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त व्यय किया जायेगा।

3- धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी सुसंगत शासनादेशों एंव क्रय संबंधी सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सम्यक रूप से सुनिश्चित किया जाये।

4- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय मद में व्यवस्थित धनराशि का उपयोग सूचना विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

5- मानदेय की मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित नीति एवं दरों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

6- आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी शासन को समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उपरोक्त वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03-08-2017 में उल्लिखित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- इस शासनादेश में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन विभाग/संस्था में तैनात लेखाधिकारी सहायक लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार विचलन हो तो संबंधित लेखाधिकारी आदि का दायित्व होगा कि वे विचलन की स्थिति से तत्काल वित्त विभाग एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।

9- उपरोक्त स्वीकृति के फलस्वरूप आने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-800-अन्य व्यय-11-उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजमणि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या-5/2017/1309(1)/49-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनु0-2/सहकारिता अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजमणि पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-5/2017/1309/49-01-2017-8(5)/16 दिनांक 23 अगस्त, 2017 का संलग्नक-1

क्रम सं0	मद	स्वीकृत धनराशि(लाख रू0 में)
01	01-वेतन	79.30
02	02-मजदूरी	1.17
03	03-महंगाई भत्ता	5.86
04	04-यात्रा व्यय	1.75
05	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.17
06	06-अन्य भत्ते	8.89
07	07-मानदेय	0.29
08	08-कार्यालय व्यय	27.50
09	09-विद्युत देय	11.67
10	10-जलकर/जल प्रभार	0.58
11	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	29.17
12	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.83
13	13-टेलीफोन पर व्यय	3.50
14	15-गाडियों का अनुरक्षण, पेटोल आदि की खरीद	14.23
15	16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	61.67
16	17-किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	19.58
17	18-प्रकाशन	25.83
18	19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	36.17
19	22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	2.17
20	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.92
21	29-अनुरक्षण	5.83
22	42-अन्य व्यय	1.17
23	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	7.92
24	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.58
25	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	45.83
26	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.83
27	49-चिकित्सा व्यय	4.58
28	51-वर्दी व्यय	9.96
	कुल योग	**420.95**

राजमणि पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in